उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकपभवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
दूरभाष: 0522–2720360 फैक्स: 0522–2721135, वेबसाइट: www.upsacs.in

ई–निविदा सूचना

उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ द्वारा वेबसाइट http//:etender.up.nic.in के माध्यम से निम्न विवरणानुसार आनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:–

ई–निविदा संन्दर्भ	कार्य विवरण	निविदा अपलोड करने की आरम्भ तिथि	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ई0एम0डी0 धनराशि रू0 में
ARC for Snacks & Lunch/2011-12 दिनांक 22 जून, 2018	सोसाइटी के कार्यक्रमों में लन्च, स्नैक्स एवं चाय की आपूर्ति हेतु	25 जून, 2018	09 जुलाई, 2018 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक	8000/-

उपरोक्त ई–निविदाओं का विस्तृत विवरण वेबसाइट http//:etender.up.nic.in एवं www.upsacs.in पर उपलब्ध है। ई–निविदा प्रपत्र में परिवर्तन / संशोधन के लिए निविदादाता उक्त वेबसाइटों का अवलोकन करते रहें, अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी। निविदा प्रक्रिया / प्राप्त निविदा / निविदाएँ बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार सोसाइटी को होगा।

परियोजना निदेशक

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष: 0522–2720360 फैक्स: 0522–2721135
www.upsacs.in

File Ref No: Proc. /ARC for Snacks & Lunch/2011-12 दिनांक: 22 जून, 2018

"ई–निविदा सूचना"

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/उन्मुखीकरण कार्यशाला/बैठकों इत्यादि में समय–समय पर आवश्यकतानुसार चाय, शाकाहारी स्नैक्स एवं लंच पैकेट्स की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों से वार्षिक दर अनुबन्ध के लिए फर्म का चयन किया जाना है।

अतः लखनऊ स्थित अनुभवी, प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं/फर्मों से दो भागों में भाग–01 (तकनीकी बिड), भाग–02 (वित्तीय बिड) ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई–निविदा का विस्तृत दिशा–निर्देश एवं सेवा–शर्तें उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट http://etender.up.nic.in एवं सोसाइटी की वेबसाइट www.upsacs.in पर उपलब्ध हैं। ई–निविदा डाउनलोड/अपलोड एवं अन्य विवरण निम्न तालिकानुसार हैः–

Bid Documents Published Date	25 th June, 2018
Bid Document Download/Sale Start Date	25 th June, 2018
Bid Uploading/Submission Start Date	25 th June, 2018
Bid Submission Closing Date & Time	09 th July, 2018 (up to 11:00 A.M.)
Technical Bid Opening Date & Time	10 th July, 2018 (04:00 P.M.)
Opening of Financial Bids	To be intimated.
Address for Communication & Bid Opening	**Project Director,** UP State AIDS Control Society, 4th Floor, A-Block, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone No:0522-2720360

उपरोक्त तालिकानुसार डाउनलोड/अपलोड की गयी पूर्ण ई–निविदाएं फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति में खोली जाएंगी। निविदादाताओं द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई.एम.डी.) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर/पेआर्डर/बैंक गारण्टी की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर, प्राप्त ट्रान्जेक्शन नं0 को निविदा के समय अपलोड किया जाएगा, तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से सोसाइटी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ईएमडी) सम्बन्धित डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर/पेआर्डर/बैंक गारण्टी की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी। आफलाइन निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस ई–निविदा प्रक्रिया/निविदा/ओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सोसाइटी को होगा।

परियोजना निदेशक
उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष: 0522–2720360 फैक्स: 0522–2721135
www.upsacs.in

File Ref No: Proc. /ARC for Snacks & Lunch/2011-12 **दिनांक: 22 जून, 2018**

(Part-I)

तकनीकी बिड–अर्हता सूची

सोसाइटी में चाय/लन्च/स्नैक्स इत्यादि की आपूर्ति हेतु तकनीकी अर्हता सूची:–

क0	विवरण	पेज संख्या
1.	समस्त अभिलेखों सहित हस्ताक्षरित/मुहर युक्त पीडीएफ निविदा प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपलोड करना अनिवार्य है।	
2.	फर्म की रूपरेखा (Profile) एवं स्वास्थ्य विभाग/नगर निगम द्वारा रेस्टोरेन्ट चलाने/खाद्य सामग्री वितरित करने का वैध अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	
3.	फर्म/एजेन्सी का कार्यालय लखनऊ में स्थित होना अनिवार्य है। (सम्बन्धित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है।)	
4.	सेवा प्रदाता/निविदादाता का मोबाइल नं0/ई–मेल आई0डी0 (सम्बन्धित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है।)	
5.	i. जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या:	
	ii. फर्म का आयकर पंजीकरण संख्या (पैन संख्या)	
	iii. निविदादाता फर्म के पंजीकरण (अर्टिकल आफ एसोशिएशन/साझेदारी डीड/प्रोप्राइटरशिप) प्रमाण–पत्र निविदा के साथ अपलोड करना होगा।	
6.	रू0 15.00 लाख प्रतिवर्ष के टर्नओवर का तीन वर्षों (2014-15, 2015-16, 2016-17) का पूर्ण विवरण (बैलेन्स सीट में से सीए द्वारा जारी केवल टर्नओवर की स्वप्रमाणित कापी अपलोड करना अनिवार्य है)	
7.	विगत तीन वर्षों में शासकीय, अर्धशासकीय, बैंक अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में चाय/लन्च/स्नैक्स की आपूर्ति सम्बन्धी कार्य का पत्र–प्रतिवर्ष केवल 02 फर्मों का कुल 06 फर्मों से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यादेश की प्रति/अनुबन्ध पत्र अथवा विभाग के लेटर हेड पर जारी अनुभव पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।)	
8.	ई0एम0डी0– (उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ के पक्ष में) राष्ट्रीकृत/वाणिज्यक बैंक रू0 8,000/– {रू0 आठ हजार मात्र} का डीडी/एफडीआर/बैंक गारण्टी की स्केन कापी अपलोड करना अनिवार्य है।	
9.	फर्म के लेटर हेड पर विगत तीन वर्षों/वर्तमान में अयोग्य घोषित (काली सूची) न किये जाने का घोषणा–पत्र की स्केन कापी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।	
10.	निविदादाता के मालिक के विरूद्ध कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तथा न्यायालय में कोई वाद प्रचलित न होने संबंधी नोटराइज्ड शपथ–पत्र की स्केन कापी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।	

घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस निविदा प्रपत्र का पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त मैं अपने/फर्म का वांछित प्रपत्र संलग्न कर रहा हूँ एवं बिना किसी शर्त के आवंटित कार्य करने के लिए बाध्य रहूँगा।

निविदादाता के नाम:..

पद:..

पता:..

दिनांक:.................................

निविदादाता के हस्ताक्षर

मुहर

"ई–निविदा सूचना/सेवा–शर्तें"

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी (UPSACS), एक पंजीकृत संस्था है, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम को संचालित कर रही है। तत्क्रम में सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/उन्मुखीकरण कार्यशाला/बैठकों इत्यादि में समय–समय पर आवश्यकतानुसार चाय, शाकाहारी स्नैक्स एवं लंच पैकेट्स की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों से वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु विभिन्न अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं अधिकृत सेवा प्रदाता फर्मों से ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई–निविदा की सेवा–शर्तें एवं अन्य विवरण निम्नवत हैं:–

1) **मूल्यांकन के लिए पात्रता मानदंडः–**

a. फर्म की रूपरेखा (Profile) एवं स्वास्थ्य विभाग/नगर निगम द्वारा रेस्टोरेन्ट चलाने/खाद्य सामग्री वितरित करने का वैध अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

b. फर्म का वैध पंजीकरण प्रमाण–पत्र (अर्टिकल आफ एसोशिएशन/साझेदारी डीड/प्रोप्राइटरशिप) प्रमाण–पत्र निविदा में संलग्न करना होगा।

c. आयकर विभाग द्वारा आवंटित पैन नम्बर, सेवाकर पंजीकरण तथा TIN की एक स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

d. फर्म का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्षों में कम से कम 15 लाख (पन्द्रह लाख मात्र) प्रतिवर्ष होना चाहिए। वार्षिक टर्न ओवर की प्रति चार्टर्ड एकाउन्टेंट (C.A.) द्वारा विधिवत रूप से लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विवरणी की प्रति संलग्न की जाए।

e. निविदाकार के पास सरकारी/मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विख्यात कारपोरेट क्षेत्रों में सफलतापूर्वक समान सेवा प्रदान करने का विगत तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए (अनुभव की छायाप्रतियाँ संलग्न की जाए)।

f. सेवा प्रदाता/फर्म से गुणवत्तापूर्ण/ससमय सेवाओं के लिए फर्म का कार्यालय लखनऊ में होना अनिवार्य है।

g. निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये प्रारूप पर निविदादाता को राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं का प्रमाणित फोटो तथा हस्ताक्षर तथा स्वयं के पते का प्रमाण–पत्र एवं समस्त प्रपत्र सत्य होने का एवं फर्म के लेटर हेड पर सरकारी/गैर सरकारी विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों/वर्तमान में अयोग्य घोषित (काली सूची) न किये जाने का अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र देना होगा।

h. सेवा प्रदाता/फर्म के मालिक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी न्यायालय में कोई वाद प्रचलित न होने संबन्धी नोटराइज्ड शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

i. निविदादाता द्वारा **तकनीकी बिड (भाग–01)** तथा प्रस्तावित दरें **वित्तीय बिड (भाग–02)** पूर्णतया भरकंर समस्त सूचनाओं/संलग्नकों सहित पूर्ण हस्ताक्षरित/मुहर सम्पूर्ण ई–निविदा की पी0डी0एफ0 कापी उ0प्र0 सरकार की ई–प्रोक्योरमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर अलग–अलग अपलोड करना होगा।

2) निविदादाताओं द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर/पेआर्डर/बैंक गारण्टी की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर, प्राप्त ट्रान्जेक्शन नं0 को निविदा के समय अपलोड किया जाएगा, तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त

निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से सोसाइटी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ईएमडी) सम्बन्धित डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर/पेआर्डर/बैंक गारण्टी की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी।

3) निविदा प्रपत्र में परिवर्तन/संशोधन के लिए निविदादाता उक्त वेबसाइटों http://etender.up.nic.in एवं www.upsacs.in का अवलोकन करते रहें, अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी।

4) तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं/फर्मों को वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि के बारे में अलग से अवगत कराया जाएगा।

5) निविदा जमा तिथि से छः माह की वैधता की ई0एम0डी0 राशि रू0 8,000/– {रू0 आठ हजार मात्र} (डीडी/एफडीआर/बैंक गारण्टी) **परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ** के पक्ष में देय होगी। निविदा की वैध अवधि से पूर्व निविदा वापस लेने एवं कार्यादेश जारी होने के बाद कार्य न करने पर प्रस्तुत ई0एम0डी0 धनराशि सोसाइटी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

6) निविदादाता द्वारा दरें **वित्तीय बिड (भाग–02) को फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा**, निविदा की दरें **वित्तीय बिड** के प्रारूप के अनुसार दी जाये और कुल योग का अंकों व शब्दों में स्पष्ट उल्लेख किया जाय, योग में कोई अन्तर होने की स्थिति में इकाई मूल्यों को आधार मानकर आगणन किया जायेगा। यथालागू जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग/ओवर टाइपिंग/इरेजिंग न हो। **सशर्त निविदा निरस्त समझी जायेगी।**

7) कार्यादेश में अन्यथा उल्लेख न होने पर, उल्लिखित वार्षिक अनुबन्ध दर कार्यादेश की पूरी अवधि के लिए अपरिवर्तनीय रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8) सोसाइटी स्तर से अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता स्वरूप manpower, lifting, transportation, dismantling इत्यादि मद का भुगतान नहीं किया जायेगा।

9) दिये गये समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण न होने की स्थिति मे सोसाइटी कार्यालय द्वारा वांछित कार्य को किसी अन्य फर्म से करा लिया जायेगा जिसका व्यय अनुबन्धित फर्म को वहन करना होगा।

10) सोसाइटी कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध पूरा होने से पहले किसी भी समय इस कार्यादेश को पूरी तरह से या उसके किसी भाग को, 15 दिवस की नोटिस देकर निरस्त या रदद् कर सकती है। इसके लिए सोसाइटी कार्यालय फर्म को, उसके द्वारा पहले से किए गए कार्यो के लिए भुगतान करेगी। यह अनुच्छेद फर्म के द्वारा दी गयी सेवाओं में चूक/हानि के कारण सोसाइटी कार्यालय द्वारा कार्यादेश को रदद् करने के मामले मे लागू नहीं होगा या उस स्थिति मे, जबकि फर्म कार्यादेश मे उल्लिखित कार्य में प्रावधान या अपेक्षा का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो सोसाइटी कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह नोटिस देकर या नोटिस दिये बिना, और अपने अन्य अधिकारों, विकल्पों या निवारण के उपायों को बरकरार रखते हुए कार्यादेश को निरस्त/रदद् कर सके और इसके साथ ही सोसाइटी कार्यालय फर्म के प्रति आगामी सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगी। सेवाप्रदाता के दिवालिया होने की दशा में सोसाइटी द्वारा अनुबन्ध तत्काल बिना किसी मुआवजे के समाप्त कर दिया जायेगा।

11) स्वीकृत निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 10 कार्यदिवसों में किसी राष्ट्रीकृत/वाणिज्यक बैंक से एफडीआर/बैंक गारण्टी के रूप में जमानत राशि, जो अनुबन्ध समाप्ति के 60 दिन बाद तक वैध हो, सोसाइटी में जमा करनी होगी। यह जमानत राशि अनुमोदित/स्वीकृत वार्षिक मूल्य का 5% होगी, जो कि एफडीआर/बैंक गारण्टी के रूप में **"परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण**

सोसाइटी, लखनऊ" के पक्ष में देय होगी। निविदाकार द्वारा इस निविदा/कार्यादेश के किसी नियम एवं शर्त के उल्लंघन करने पर या अनुबन्ध की अवधि के दौरान **सेवाओं एवं आपूर्तित सामग्री की गुणवत्ता में कमी/अन्तर**/निकृष्ट/त्रुटिपूर्ण/सेवा असंतोषजनक होने पर जमानत राशि को जब्त करते हुए कार्यादेश रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में सोसाइटी का निर्णय फर्म के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। संतोषजनक सेवाओं के आधार पर बन्धक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

12) सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 10 कार्यदिवसों में रू0 100/– के नान–जूडीशियल स्टांप पेपर पर बिना किसी शर्त के कार्यादेश की सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने का स्पष्ट अंकन करते हुए नोटरी द्वारा निष्पादित एग्रीमेन्ट प्रपत्र सोसाइटी में प्रस्तुत करना होगा। स्टैम्प शुल्क फर्म द्वारा वहन किया जायेगा, एवं निविदा सूचना/सेवा–शर्तें अनुबन्ध का एक हिस्सा हैं।

13) निविदाकार नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित नियमों, उपनियमों, विनियमों इत्यादि के प्रति अपने दायित्वों का पालन सुनिश्चित करेगा।

14) अनुबन्ध अवधि में असन्तोषजनक सेवा/विलम्ब सेवा/कार्यादेश की सेवा–शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर या आपूर्ति किये गये खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी या अन्तर होता है तो अनुबन्धित फर्म को नोटिस/बिना नोटिस दिये कार्यादेश को रद्द/निरस्त कर फर्म की सिक्योरिटी धनराशि को जब्त करते हुए भविष्य के लिए अयोग्य घोषित करने पर विचार किया जा सकता है। निर्दिष्ट समयावधि में कार्य पूर्ण न होने/असमर्थतता व्यक्त करने के कारण दिये गये कार्य को किसी अन्य फर्म से करा लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय फर्म द्वारा प्रस्तुत पूर्व बीजकों में से समायोजित कर लिया जाएगा।

15) फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। सोसाइटी बिना किसी पूर्व सूचना के निविदा/निविदाएँ पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार/निरस्त कर सकती है।

16) कोटेशन में उल्लिखित कार्य/आपूर्ति समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता से सम्बन्धित है। निविदाकार द्वारा चाय एवं भोजन के मांग की सूचना प्राप्त होने के 3:30 घंटे के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। निर्दिष्ट समयावधि में आपूर्ति न होने पर 5% प्रति घंटे की दर से अधिकतम 10% तक विलम्ब आपूर्ति हेतु कटौती की जा सकती है। आपूर्तित सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर आपूर्तित सामग्री के बीजक के भुगतान से तद्नुसार कटौती करने का पूर्ण अधिकार सोसाइटी को होगा।

17) सफल फर्म द्वारा प्रस्तावित कार्य का आदेश/सेवा आपूर्ति सोसाइटी कार्यालय में अपने व्यय पर सुनिश्चित किया जाएगा एवं दिये गये कार्य/लगने वाली खाद्य/अन्य सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

18) सफल कोटेशनदाता का चयन न्यूनतम् दर (एल–01) तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। क्रयसमिति के समक्ष वांछित होने पर अर्ह फर्मो को खाद्य सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19) सोसाइटी अधिकारियों द्वारा भोजन बनाने हेतु प्रयोग किये गये कच्चे माल, बनाने की विधि व प्रयोग किये गये पदार्थ, बेचे जाने वाली अन्य भोजन सामग्री इत्यादि की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की जानकारी प्राप्त करने हेतु औचक जांच एवं निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है। सोसाइटी अधिकारियों द्वारा इंगित किए गए कोई दोष का निवारण निविदाकार द्वारा किया जायेगा। निविदाकार को चाय एवं दोपहर भोजन के सुचारू वितरण सेवा हेतु अपने स्तर से कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों को पर्याप्त बर्तनों के साथ भेजना होगा।

20) सन्तोषजनक सेवा/कार्य पूर्ण करने के उपरान्त बीजक दो प्रतियों में कार्यादेश की प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यादेश में अंकित दरों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। सन्तोषजनक कार्योपरान्त भुगतान बजट उपलब्धता के आधार पर

बीजक प्राप्ति तिथि से एक माह में किया जा सकता है। यथा लागू आयकर दर के अनुसार स्रोत पर आयकर (TDS) की कटौती भुगतान के समय की जायेगी। सोसाइटी द्वारा किसी भी दशा में कोई अग्रिम निर्गत नहीं किया जाएगा एवं भुगतान की देरी में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

21) सोसाइटी द्वारा आयोजित बैठकों, कार्यशालाओं इत्यादि में खाद्य सामग्री की आपूर्ति के संबंध में अनुमानित प्रतिभागियों की सूचना कार्यादेश/दूरभाष के माध्यम से यद्यपि पूर्व में निर्गत कर दी जायेगी, तदनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री आपूर्ति से पूर्व सोसाइटी से निर्गत कार्यादेश को संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर वास्तविक संख्या में सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

22) सन्तोषजनक सेवाओं के सम्बन्ध में कार्यक्रम प्रभारी द्वारा की गयी पुष्टि के आधार पर फर्म को अनुबन्धित दरों एवं सेवा–शर्तों पर अनुबन्ध विस्तार दिया जा सकता है। फर्म की सेवाओं से निरन्तर असंतुष्टि की दशा में सोसाइटी द्वारा Performance Security Money जब्त करते हुए अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता हैं।

23) किसी भी विवाद की स्थिति में परियोजना निदेशक, उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ का निर्णय मान्य होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

भवदीय,

(अनुराग गुप्ता)
संयुक्त निदेशक, क्रय

(फर्म के लेटर हेड पर)

निविदादाता द्वारा घोषणा

सम्बन्धित निविदा की समस्त शर्तों का पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त मैं अपने वांछित प्रपत्र संलग्न करने के साथ कार्य के सम्मुख अंकित दर को प्रेषित कर रहा हूँ। ई–निविदा के अनुसार (ई0एम0डी0) धरोहर राशि रू.....................(शब्दों में ....) डीडी/एफडीआर/बैंक गारण्टी (..........................) जो **परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ** के नाम से बन्धक है, को सम्बन्धित कार्य की निविदा मेरे पक्ष में औपचारिक रूप से स्वीकृत होने पर अनुबन्ध करने की कार्यवाही अपेक्षित समय के अन्दर न करने की दशा में, मेरी उपरोक्त धरोहर धनराशि सोसाइटी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

दिनांकः..................

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूरा नामः..................................

सेवा प्रदाता/निविदादाता (फर्म स्वामी) का सत्यापित फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....निवासी ....(पता अंकित करें) को मैं भली–भांति जानता हूँ, तदनुसार इनके हस्ताक्षर व फोटो अंकित विवरण के अनुसार सत्यापित किये जाते हैं।

निविदादाता का सत्यापित फोटो

सेवा प्रदाता/निविदा दाता का हस्ताक्षर

सेवा प्रदाता/निविदादाता का आधार कार्ड नं0 तथा छाया प्रति संलग्न

श्री...के सत्यापित हस्ताक्षर

दिनांकः.......................

राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर

अधिकारी का नामः

पदनाम की मुहरः

प्रपत्रों के वास्तविक होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अर्नेस्ट मनी छोडकर मेरे द्वारा कुल ....पृष्ठ के अर्हताओं के प्रपत्र लगाये गये हैं जो कि मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है तथा वास्तविक हैं। किसी भी प्रपत्र में कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर निविदा शर्तों के अनुसार की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

दिनांकः.........................

निविदादाता के हस्ताक्षरः

निविदादाता का नामः

फर्म का नाम व पता एवं मुहरः

(On Firm Letter Head)

DECLARATION

I/We hereby declare that, my organization have not been banned/de-listed/black listed from business by any PSU or any Ministry. Dept. of GOI/ State Govt. /organization present/during the last three years.

(………………………………..)
Seal and Signature of theTenderer

(फर्म के लेटर हेड पर)

वित्तीय–बिड
(Part-II)

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
लखनऊ।

विषयः **सोसाइटी हेतु आवश्यकतानुसार चाय, स्नैक एवं लंच की आपूर्ति** हेतु आमंत्रित वित्तीय–बिड।

महोदय,

मैं/हम उपर्युक्त वर्णित विषय पर निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं तथा सोसाइटी के ई–निविदा की फाइल सं0ः **File Ref No: Proc. /ARC for Snacks & Lunch/2011-12** में वर्णित नियम एवं शर्तों को एतद्द्वारा सहमत/स्वीकार करता हूँ/करते है। वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु अपेक्षित वित्तीय दर निम्न प्रकार हैः–

क्र0	विवरण	दर प्रति पैकेट रूपये में (सभी करों एवं किराया सहित)	जी0एस0टी0 दर प्रतिशत में
1.	**स्नैकस पैकेट (प्रति पैकेट/व्यक्ति न्यूनतम सामग्री)** i. वेज सैंडविच – 4 fresh slices of bread wrapped with butter & fresh Vegetable ii. पनीर रोल– 1 पीस iii. फल– 1 केला iv. मिठाई – 1 पीस (गुलाब जामुन/छेना में से कोई एक) v. चिप्स (20 ग्राम) एवं टोमेटो सोस पाउच vi. पेपर नैपकीन, माउथ फ्रेशनर vii. पानी–प्रति व्यक्ति 250ml		
2.	**लंच पैकेट (प्रति पैकेट/व्यक्ति न्यूनतम सामग्री)** i. दाल– अरहर/मक्खनी/तड़का,––125 ग्राम ii. सूखी मौसमी सब्ज––100 ग्राम iii. मिक्स्ड फ्रूट रायता––100 ग्राम iv. पनीर सब्जी ग्रेवी के साथ––150 ग्राम (50ग्राम पनीर सहित) v. चावल–जीरा (Jeera Rice) ––100 ग्राम vi. गेहूँ के आटे की चपाती/तवा रोटी– तीन (सामान्य आकार) vii. मिठाई–1 पीस, (गुलाब जामुन/छेना में से कोई एक) viii. सलाद (टमाटर, प्याज, नींबू, खीरा/गाजर),अचार (पाउच)–75 ग्राम ix. माउथफ्रेशनर, टूथपिक, पेपर नैपकीन, प्लास्टिक बड़ा चम्मच x. पानी–प्रति व्यक्ति 250ml		
3.	चाय 110ml एवं 02नमकीन+02 मीठे बिस्कुट सुबह 11 बजे (प्रति व्यक्ति)		
4.	चाय 110ml एवं 02नमकीन+02 मीठे बिस्कुट शाम 4 बजे (प्रति व्यक्ति)		
5.	पैकेज डील–उपरोक्त क्रम सं0 02 से क्रम सं0 04 तक) यथा लंच एवं दोनो समय चाय बिस्कुट को सम्मिलित करते हुए (प्रति व्यक्ति)		

नोटः–

1. समस्त भोजन सामग्री ब्राण्डेड खाद्य तेल/वनस्पति, एवं मसालों में बनी व ताजी होनी चाहिए।

2. उपरोक्त सामग्री अलग–अलग डिस्पोजल प्लास्टिक कटोरी में सिल्वर फॉयल के साथ पैक होनी चाहिए तथा सभी सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म की नाम तथा पता मुद्रित दफ्ती के अच्छे डिब्बें में रखी होनी चाहिए।
3. चाय एवं बिस्किट अच्छी गुणवत्ता के पेपर कप एवं प्लेट में वितरित की जायेगी।
4. भोजन सामग्री के साथ पानी (मिनरल वाटर)–250 मिली0 (ब्राण्डेड सील्ड डिस्पोसेबल ग्लास/बोटल) प्रति व्यक्ति अथवा मिनरल वाटर 30 ली0 प्रति 60 व्यक्ति (डिस्पेन्सर एवं गिलास सहित) होना आवश्यक है।

मुझे/हमे निविदा संबंधित समस्त विवरण प्राप्त हो चुका है। यदि हमारे संगठन/फर्म/संस्था को कार्यादेश से सम्मानित किया जाता है, तो निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य होगीं तथा समस्त नियम/शर्तो का पालन हमारे द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त दरें जीएसटी के अतिरिक्त सभी किराया/सामग्री/सहायतित उपकरणों सहित हैं (जी.एस.टी. दरों के अनुसार अतिरिक्त देय होगा)। इसके अतिरिक्त किसी भी कर/किराया/इन्टालेशन इत्यादि का भुगतान कदापि नहीं किया जाएगा।

अधिकृत व्यक्ति का नाम :... पदः...
मोबाइल नं0/ ई–मेल :...

भवदीय,

दिनांकः–
स्थान :–

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर)